संख्या-177/2022/1185/23-10-22-98(सामान्य)/22

प्रेषक,

अभय कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ: दिनांक 18 नवम्बर, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद फर्रूखाबाद (राज्य मार्ग-43) के किमी0-2 में स्थित आर0ओ0बी0 की मरम्मत एवं सुधार का कार्य एवं जनपद बरेली में परम खेडा-परसपुर मार्ग पर निर्मित रेल उपरिगामी सेतु का कन्डीशन सर्वे कराते हुये रिपेयर/रिहैब्लिटेशन/स्टैन्थिनिंग कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता(सेतु विंग), लो0नि0वि0, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1135/प्रा0-आगणन-मुरादाबाद(मुरादाबाद फर्रूखाबाद)/सेतु-6/21-22 दिनांक 03.11.2022 एवं पत्र संख्या-1136/प्रा0-आगणन-बरेली(परम खेडा-परसपुर)/सेतु-6/22-23 दिनांक 03.11.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मुरादाबाद फर्रूखाबाद (राज्य मार्ग-43) के किमी0-2 में स्थित आर0ओ0बी0 की मरम्मत एवं सुधार का कार्य लागत रू0 101.57 लाख एवं जनपद बरेली में परम खेडा-परसपुर मार्ग पर निर्मित रेल उपरिगामी सेतु का कन्डीशन सर्वे कराते हुये रिपेयर/रिहैब्लिटेशन/स्टैन्थिनिंग कार्य लागत रू0 488.99 लाख अर्थात कुल लागत रू0 590.56 लाख (रूपये पाँच करोड़ नब्बे लाख छप्पन हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति राज्यपाल निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	जनपद कार्य का विवरण	लागत	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रशासकीय स्वीकृति
1	2	3	4
1	जनपद मुरादाबाद फर्रूखाबाद (राज्य मार्ग-43) के किमी0-2 में स्थित आर0ओ0बी0 की मरम्मत एवं सुधार का कार्य	101.57	101.57
2	जनपद बरेली में परम खेडा-परसपुर मार्ग पर निर्मित रेल उपरिगामी सेतु का कन्डीशन सर्वे कराते हुये रिपेयर/रिहैब्लिटेशन/स्टैन्थिनिंग कार्य	488.99	488.99
	योग-	**590.96**	**590.56**

http://shasanadesh.up.gov.in/gofmra/

(1) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-24/2022/बी-1-790/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 नवम्बर, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) शासनादेश सं0-42/2022/212/23-10-21-10(ब)/2017 दिनांक 21.04.2022 एवं शासनादेश सं0-0-69/2022/683/001/683/23-10-22-10BA-2017 दिनांक 17.08.2022 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-800-अन्य व्यय-04-पुलों का अनुरक्षण एवं मरम्मत-29-अनुरक्षण मद में प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 50.00 करोड़ में से वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-177/2022/1185(1)/23-10-22-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद एवं बरेली / जिलाधिकारी, मुरादाबाद एवं बरेली ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी ।
4 मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद एवं बरेली क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)@राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
8- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/go/hindi/